संख्या-32/2016- 760/चौदह-4-2016-522/2014टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक, 29 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित " प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फलेक्सी फण्ड हेतु अवमुक्त/ रिवैलिडेटड केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ रू0 2.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु मात्राकृत धनराशि को फ्लेक्सी फण्ड के रूप में निरूपित कर उपयोग किये जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की द्वतीय बैठक दिनांक 23.02.2016 में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-"प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-1-15 /2009-पी0ई0, दिनांक 14-07-2015 द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 2.00 लाख का उपयोग निम्नलिखित कार्यमदों पर किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5
1	वन विश्राम भवन, अमानगढ़ हेतु आर0ओ0 सिस्टम की स्थापना	01	18000	18000
2	अमानगढ़ वन विश्राम भवन हेतु फ्रिज का क्रय	01	25000	25000
3	अमानगढ़ वन विश्राम भवन हेतु विभिन्न सामग्री जैसे-क्राकरी, पर्दे, बेड चादर आदि	लमसम	लमसम	31080
4	कर्मचारियों हेतु वर्दी	28	1000	28000
5	कैमरा ट्रैप हेतु बैटरी/सेल का क्रय	272	360	97920
	योग:-वित्तीय)			200000

2- अत: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-1116/36-टी-27(प्रो0एली0) दिनांक 08.03.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत- केन्द्र पुरोनिधानित योजना

2/-

के अन्तर्गत "प्रोजेक्ट एलीफैन्ट" योजना हेतु रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0103-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट (सी0सी0एल0प्रणाली)-	
25-लघु निर्माण कार्य	200
योग:-	**200**

(रू0 दो लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतय के संबंध जिस व्य : मेंवित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथ्थवा शासन के वर्तमान आदेशों के

अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष कृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया में स्वी 16-2015 यन के लिए नहीं जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्व किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के

3/-

अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख किये जाने सीमा अवमुक्त-रहे।की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध

9- यह भी उल्लेखनीय है कि फलेक्सी फण्ड हेतु मात्राकृत धनराशि का व्यय वन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4164/14-4-2014-500(51)/2014 दिनांक 09.12.2014 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-193/14-4-2015-500(51)/2014 दिनांक 05.02.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) से योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 08.03.2016 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक, 30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या- 760(1)/चौदह-4-2016-522/2014टीसी तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी,उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ
6- प्रभागीय वनाधिकारी, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग
10- नियोजन अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।